

कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

फा.क. / 1246, 1248, 1249, 1250, / विद्युत / 2024

कोरबा, दिनांक 28.10.2024

तृतीय निविदा आगंत्रण राूचना

नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा छ.रा.वि.गंडल,एवं छत्तीरागढ़ अनुझापन गंडल(विद्युत) में उचित श्रेणी में पंजीकृत/लाईसेंसी ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्यो हेतु शेख्यूल अनुसार आयटम दर पर मैन्युअल निविदा हेतु निविदा प्रपत्र फार्म-यी बेबसाईट से ढाउनलोड कर त्रि-लिफाफा पद्वती के माध्यम सें मुहरबंद निविदाएं आगंत्रित की जाती है:--

		प्राक्कलन राशि	धरोहर	िविदा	कार्यावधि	ठेकेदार	निविदा दरतावेज	
ক	कार्य का नाम		राशि	प्रपत्र का		का वर्ग	(भाग-31) खुलने	(भाग-ब) खुलने
				गूल्य			की तिथि	की तिथि
			3,700/-	750/-	12 गाइ	वर्ग बी-	11.11.2024	13.11.2024
1	कोरबा जोन अंतर्गत्	3,66,600 / -	3,7007 -	1507	12	श्रेणी		
	स्थापित स्ट्रीट लाईट							
	व्यवस्था का संचालन							
	/ संधारण / मरम्मत					1		
	कार्य । (मरम्मत / संधारण मद)							
2	(मरम्मत) संधारण नय)	3,66,600/-	3,700/-	750/-	12 माह	वर्ग बी-	11.11.2024	13.11.2024
2	खालका जान जतनत् स्थापित स्ट्रीट लाईट	0,00,0007		2		श्रेणी		
	व्यवस्था का संचालन							
	/ संधारण / मरम्मत							
	कार्य। (मरम्मत / संधारण							
	मद)							13.11.2024
3	दर्री जोन अंतर्गत् स्थापित	3,66,600 / -	3,700/-	750/-	12 माह	वर्ग बी श्रेणी	11.11.2024	13.11.2024
	स्ट्रीट लाईट व्यवस्था का					21-11		
	संचालन / संधारण /			2		· · ·		
	मरम्मत कार्य।							
	(मरम्मत / संघारण मद)			750 /	12 माह	वर्ग बी-	11.11.2024	13.11.2024
4	सर्वमंगला नगर जोन	3,66,600 /	3,700/-	750/-	12 110	श्रेणी	11.11.2024	
	अंतर्गत् स्थापित स्ट्रीट							
	लाईट व्यवस्था का	÷						
	संचालन / संधारण /							
	मरम्मत कार्य। (मनग्रम्न (नांध्रम्णम् सन्)		(
	(मरम्मत/संधारण मद)							

शर्ते :—

4.

1. निविदा दरे मासिक / वार्षिक दर के आधार पर ही भरी जावे,अन्यथानिविदा निरस्त मानी जावेगी।

- 2 निविदा के दस्तावेज हाथो–हाथ न लिया जाकर रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट से प्राप्त किया जावेगा। अन्य माघ्यमों यथा कोरियर सर्विस तथा साधारण डाक इत्यादि से प्राप्त अथवा समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा। निविदा. आयुक्त. नगर पालिक निगम आईटीआई चौक साकेत भवन, जिला–कोरबा (छ.ग.) पिन नं. 495677 के पते पर भेजना होगा। निर्घारित तिथि को 3.00 बजे के पश्चात प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नही की जावेंगीं।
- 3 निविदा प्रपत्र नगर पालिक निगम कोरबा के बेबसाइड :www.korbamunicipal.in.एव www.uad.cg.gov.in से डाउनलोड किया जाकर नवीन निविदा प्रपत्र Form- B (जारी दिनांक तक समस्त संशोधनो के साथ) निर्धारित निविदा प्रपत्र का शुल्क डी.डी. के साथ संबंधित कार्य का नाम पूर्ण विवरण सहित भरकर भेजना होगा।
 - निविदा प्रपत्र त्रि–लिफाफा पद्वति से मान्य किया जावेगा। जो निम्नानुसार होगा :–
 - अमानत राशि का वैध FDIATDR, निविदा प्रतिभागी शुल्क का DD एवं शपथ पत्र (निर्धारित प्रारूप में) की मूल प्रति लिफाफा में कार्य का नाम एवं अन्य विवरण अंकित कर केवल स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माघ्यम से निविदा खुलने की तिथि में दोपहर 3.00 बजे तक आयुक्त,नगर पालिक निगम,कोरबा साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक रामपुर कोसाबाझी पिन– 495677 कोरबा को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
 - निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि निर्धारित प्रारूप में वैद्य शपथपत्र (राशि रू. 100/– नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प) निविदा आमंत्रण दिनोक के पश्चात का, निविदा कमांक एवं कार्य का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।
 - अमानत राशि का FDI//TDR एवं निविदा प्रतिभागी शुल्क का DD जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम,कोरबा के नाम पर देय हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

1971.2

1/2//

- जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित विरूद्ध कार्य किया गया हो जन्हे निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
- निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु इच्छुक ठेकेदारों को आवेदन के साथ, साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप ढीट) की सत्य प्रतिलिपि, पूर्व में इस प्रकार की किए गए कार्यों की प्रमाणित सूची, पिछले वित्तीय वर्ष का आयकर चुकता प्रमाण पत्र/पेन नम्बर पत्र एवं दी. एस.टी. का पंजीयन प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं राज्य कर्मचारी बीमा निगम रायपुर से पंजीयन एवं विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) हस्ताक्षरयुक्त निर्धारित प्रारूप में निविदा आमंत्रण सूचना पत्र के कंडिका क. 04 के अनुरूप लिफाफा (ए) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
- 7. कार्य हेतु लिफाफे पर कार्य का नाम, निविदा आमंत्रण सूचना कमांक, निविदा खुलने की तिथि स्पष्ट रूप लिखकर भेजना होगा।
- 8 निविदाकार यह दायित्व है कि निविदा भरने के पूर्व स्थल का निरीक्षण कर लेवें ताकि कार्य प्रारंभ करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो ।
- 9 निर्धारित निविदा प्रपन्न में उल्लेखित कंडिकांए स्वयमेव लागू मानी जावेगी एवं निविदा आमंत्रण सूचना निविदा का ही भाग माना जावेगा।
 10 निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपन्न, निविदा प्रपन्न शुल्क, अमानत राशि, निविदा आमंत्रण सूचना पत्र में उल्लेखित दस्तावेज सही पाए जाने पर ही
- निविदा दर का लिफाफा खोला जायेगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
- 11 ठेकेदार को अपनी दरें शब्दों एवं अंकों में लिखना अनिवार्य होगा।
- 12 शासन के विभिन्न विभागों जैसे:— खनिज विभाग, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग इत्यादि विभागों द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशो/आदेशों के पालन की समस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।
- 13 ठेकेदार यदि कार्य को अपूर्ण स्थिति में छोड़ता है तो निविदा प्रपन्न में उल्लेख अनुसार इस संबंध में प्रावचान के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
- 14 कार्य प्रारंभ नही करने अथवा अपूर्ण स्थिति में छोड़ने पर निगम द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध तत् समय में एमआइसी द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अधीन कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
- 15. मरम्मत एवं संधारण मद के कार्य हेतु सम्पूर्ण किए गए कार्यों के प्रत्येक देयकों से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि 01 वर्ष के लिए रोकी जावेगी। जिसे कार्य पूर्णता दिनांक से 01 वर्ष पश्चात किये गये कार्य सही स्थिति में होने पर वापस की जावेगी।
- 16 निविदा में सफल निविद्कार को ऐसे कार्य जिसकी अनुबंध राशि रू. 10.00 लाख या उससे अधिक है,उनको प्रत्येक कार्यों हेतु पृथक-पृथक से छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तद्अंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत् पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
- 17 ठेकेदार को निर्माण कार्य के दौरान निर्माण एवं अपशिश्ठ प्रबंधन नियम 2016 में किये गये प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 18. ठेकेदार द्वारा संपादित किये गए कार्यों के देयकों का भुगतान बजट आबंटन और राशि उपलब्ध होने पर किया जावेगा।
- 19. निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा। एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा।
- 20. उक्त कार्य में लगे श्रमिको को विद्युत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, एवं किसी प्रकार से दुर्घटना होने की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
- 21. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त के द्वारा अधिनस्थ अधिकारियों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- 22. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
- 23. निविदा खुलने की तिथि में अवकाश होने पर आगामी तिथि (कार्य दिवस) को निविदा संबंधी कार्यवाही मानी जावेगी।
- नोटः— 1. धरोहर राशि के रूप में एफ.डी.आर. /टी.डी.आर. पृथक से लिफाफे में स्वीकार किए जावेंगे, जो आयुक्त,नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय हो।

 उपरोक्त तिथियों में कोई तिथि को शासकीय/स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्घारित तिथि समय एवं स्थान माना जावे।

OC

कार्यपोलने अभियन्ता इम्बर पालिक निगम

कीरबा (छत्तीसगढ)

प्रतिलिपि :– प्रोग्रामर, संचानालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नवा रायपुर (छ.ग.) को Uad.cg.gov.in में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

ठेकेदार के हस्ताक्षर नम —.....

5.

6.

नम —..... पूर्णपता —.....

------मोबाईल नं.....

FFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, KORBA Abstract

Sub :- Operation, Repairing and Maintenance of Street Light Arrangement Under Sarvmangla Nagar Zone

Item Rate

Reactive and Replacement the burnt/damaged Equipements, able etc. will be done burnt/damaged Equipements.	Unit Job	_Rate	Per Month	Amount
s operating Pannel Junction Box Main Switch Cable fault tc. and Replacement the burnt/damaged Equiperation				1
able, etc. will be done by the contractor as per Requirement			na n	
B) Electrical Maintenance of Building :- it includes all over ectrical Maintenance work. such as repairing of wiring, plcement of burnt/ damaged celling Fan & Lighting quipements as per Requirement will be done by the pontractor				
me to Time to Time to The New Electrical Materials if Required for The				
aragrapha	4			L,
	plcement of burnt/ damaged celling Fan & Lighting quipements as per Requirement will be done by the ontractor C) Temprary Lighting arregment will be done by the pontractor in Various Events at Various Puplic Places from me to Time ote :- The New Electrical Materials if Required for The ork will be provide by the Corporation As per the Above	plcement of burnt/ damaged celling Fan & Lighting quipements as per Requirement will be done by the ontractor C) Temprary Lighting arregment will be done by the ontractor in Various Events at Various Puplic Places from me to Time ote :- The New Electrical Materials if Required for The ork will be provide by the Corporation As per the Above aragrapha	plcement of burnt/ damaged celling Fan & Lighting quipements as per Requirement will be done by the ontractor C) Temprary Lighting arregment will be done by the ontractor in Various Events at Various Puplic Places from me to Time ote :- The New Electrical Materials if Required for The ork will be provide by the Corporation As per the Above aragrapha	plcement of burnt/ damaged celling Fan & Lighting quipements as per Requirement will be done by the ontractor C) Temprary Lighting arregment will be done by the pontractor in Various Events at Various Puplic Places from me to Time ote :- The New Electrical Materials if Required for The ork will be provide by the Corporation As per the Above

Sub Magineer

Sub Fagineer Municipal Corporation, Korba (C.G.)

Assitt. Engineer Municipal Corporation, Korba (C.G.)

Executive Engineer Municipal Corporation, Korba (C.G.)

कार्य की प्रकृति, नियम एवं शर्तेः--

स्ट्रीट लाईट की सप्लाई देने के लिए बिछाये गये अण्डर ग्राउण्ड आरमेड केबल सुधार, बदलने एवं बिछाने का कार्य भी ठेकेदार का होगा, यदि नई केबिल की आवश्यकता पड़ती है, तो वो निगम द्वारा प्रदान की जावेगी।

- 2 यदि रात में स्ट्रीट लाईट के सर्किट/कन्ट्रोल पैनल में खराबी आती है तो उसे रात में ही सुधारने की जबावदारी ठेकेदार की होगी, ताकि स्ट्रीट लाईट रात्रिकालिन बंद न हो।
- 3 ठेकेदार द्वारा मेंटेनेस कार्य में लगाये गये इलेक्ट्रीशियन के पास लाईसेंस (आई.टी.आई. प्रमाण पत्र) होना अनिवार्य है एवं हेल्पर जिसके पास विद्युत कार्य का अनुभव प्रमाण होना अनिवार्य है।
- 4 ठेकेदार द्वारा मेंटेनेस कार्य में रखे कर्मचारियों की आयु 18 से 35 होनी चाहिए। कम एवं अधिक उम्र के कर्मचारी नही रखे जा सकेगें।
- 5 ठेकेदार को छ.ग. में प्रचलित लेबर एक्ट तथा मजदूरी एक्ट की धाराओं एवं नियमों का पालन करना होगा एवं उसके लिए नगर निगम जिम्मेदार नही होगा। कांट्रेक्ट लेबर एक्ट 1960 व कांट्रेक्ट लेबर एक्ट 1969 के तहत नियमों का पालन करना होगा। कार्य अन्तर्गत रखे गये इलेक्ट्रीशियन / हेल्पर की सुरक्षा बीमा, चिकित्सा सुविधा बोनस, प्रोविडेन्ट फंड एवं किसी प्रकार के दुर्घटना एवं असामायिक मृत्यु इत्यादि होने पर समस्त जिम्मेदार ठेकेदार की होगी।
- 6 ठेकेदार को अपने कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा साधन जैसे सेफ्टी शूज, हेल्मेंट, रबर हैण्ड, ग्लोब्स, सेफ्टी बेल्ट, दिया जाना आवश्यक है। बिना सुरक्षा उपकरणों के सुधार कार्य की अनुमति प्रदान नही की जाएगी। ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारी कार्य के दौरान सुरक्षा साधन का इस्तेमाल करें अन्यथा ठेकेदार अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होगा। यदि कार्य के दौरान सुधार कर्मियों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करते नही पाया गया तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी एवं इसकी संपूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
- 7 निदान–1100 से प्राप्त होने वाले शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर 24 घण्टे के भीतर किया जाना आवश्यक है। यदि इस कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता एवं कमी पायी जायेगी तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 8 ठेकेदार द्वारा सुधार कार्य अन्तर्गत विद्युत खम्भे की एल.टी. / 11 के.व्ही. विद्युत लाईन को चालू बंद करने हेतु विद्युत मण्डल कार्यालय से संपर्क कर पूर्ण किया जाना हैं एवं कार्य से पूर्व अनुमति संबंधित विभाग के कार्य प्रभारी द्वारा लिया जाना आवश्यक है यदि ऐसा नही किया जाता तो दुर्घटना की स्थिति में इसकी संपूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।

उप अभियंता नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

ngh 418

सहायक अभियंता नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

अभियंता लिक निगम, कोरबा (छ.ग.)